D:\Sabla folder\Sabla.doc108

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(46)पो/केएसवाई/ICDS/2016/ 57784-58123 जयपुर, दिनांक 12.4.18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त

विषयः–किशोरी शक्ति योजना बन्द किए जाने के सम्बन्ध में ।
प्रसंगः–पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्राक 2927–2959 दिंनाक 19.01.2016 के कम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्र द्वारा किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर दो किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान किए गए थें ।

इस सम्बन्ध में सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 05.04.2018 की प्रति संलग्न कर लेख है भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना लागू किये जाने के दृष्टिगत किशोरी शक्ति योजना को बन्द करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः भविष्य में किशोरी शक्ति योजना का संचालन बन्द किया जाता है। किशोरी बालिकाओ के लिए योजना लागू करने हेतु निर्देश पृथक से प्रदान किए जाएगें ।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(8)पो/सबला/ICDS/2010/ 58124-37 जयपुर, दिनांक 12.4.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।

(मनोज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)